2025 का विधेयक संख्यांक 193

[दि रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2025 का हिन्दी पाठ]

निरसन और संशोधन विधेयक, 2025

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने और
कतिपय अन्य अधिनियमितियों का संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निरसन और संशोधन अधिनियम, 2025 है ।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन ।

2. पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का निरसन किया जाता है ।

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन।

3. दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का, उसके चौथे स्तंभ में उल्लिखित विस्तार तक तथा रीति से संशोधन किया जाता है ।

व्यावृत्तियां ।

4. किसी अधिनियमिति का इस अधिनियम द्वारा निरसित किया जाना, किसी अन्य ऐसी अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति को लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट किया गया है ;

और, इस अधिनियम का प्रभाव, पहले की गई या हुई किसी बात या पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग के या उससे कोई निर्मोचन या उन्मोचन या पहले से अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों पर नहीं पड़ेगा ;

और न ही, इस अधिनियम का प्रभाव विधि के किसी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के प्ररूप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया, या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी पड़ेगा कि वह, इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, उसमें या उससे किसी रीति से क्रमशः पुष्ट या मान्य या व्युत्पन्न हुआ हो ;

और न ही, इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, निरसन से कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात पुनरुज्जीवित या प्रत्यावर्तित होगी ।

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

निरसन

वर्ष	**संख्या**	**संक्षिप्त नाम**
(1)	(2)	(3)
1886	11	भारतीय ट्राम अधिनियम, 1886
1976	31	लेवी चीनी समान कीमत निधि अधिनियम, 1976
1978	41	ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (मोकामा यूनिट) तथा आर्थर बटलर एंड कंपनी (मुजफ्फरपुर) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1978
1982	36	चापरमुख-सिलघाट रेल लाइन और काटाखाल-लालाबाजार रेल लाइन (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1982
1984	55	हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1984
1988	44	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का अवधारण) अधिनियम, 1988
2016	3	माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015
2017	1	मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2017
2017	3	शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017
2017	6	प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम,2017
2017	11	कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 2017
2017	30	बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017
2018	7	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2018
2018	10	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2018
2018	12	उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2018
2018	18	विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018
2018	19	राज्य बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2018
2018	20	परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018
2018	28	वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अधिनियम, 2018
2019	15	केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019
2019	19	मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019
2019	27	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019
2019	32	मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019
2019	38	राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2019

(1)	(2)	(3)
2019	41	चिट फंड (संशोधन) अधिनियम, 2019
2019	43	विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अधिनियम, 2019
2019	48	आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019
2020	1	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020
2020	4	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2020
2020	13	वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2020
2020	17	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020
2020	18	मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) अधिनियम, 2020
2020	24	होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2020
2020	25	भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2020
2020	39	बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020
2021	3	माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2021
2021	6	बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2021
2021	8	गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021
2021	15	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021
2021	21	फेक्टरी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2021
2021	22	नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) अधिनियम,2021
2021	26	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2021
2021	27	केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021
2021	28	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2021
2021	30	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम (संशोधन) अधिनियम,2021
2021	32	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2021
2021	37	साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 2021
2021	38	राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021
2021	39	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021
2021	43	राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2021
2021	44	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2021
2021	49	निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021
2022	8	संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2022
2022	9	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2022
2022	10	दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022
2022	14	सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम, 2022

(1)	(2)	(3)
2022	19	ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022
2022	20	संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022
2022	23	भारतीय अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (संशोधन) अधिनियम, 2022
2023	1	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022
2023	2	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2022
2023	9	प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023
2023	11	बहु-एकक सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023
2023	12	चलचित्र (संशोधन) अधिनियम, 2023
2023	13	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023
2023	14	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023
2023	16	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023
2023	17	अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023
2023	19	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023
2023	27	तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023
2023	36	केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023

दूसरी अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

संशोधन

वर्ष	**अधिनियम संख्या**	**संक्षिप्त नाम**	**संशोधन**
(1)	(2)	(3)	(4)
1897	10	साधारण खण्ड अधिनियम, 1897	धारा 27 में "रजिस्ट्रीकृत डाक" शब्दों के स्थान पर, "स्पीड पोस्ट के साथ रजिस्ट्रीकरण" शब्द रखे जाएंगे ।
1908	5	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908	(i) धारा 148क की उपधारा (2) में "रसीदी रजिस्ट्री डाक" शब्दों के स्थान पर, "रजिस्ट्रीकरण सहित स्पीड पोस्ट और परिदान का सबूत" शब्द रखे जाएंगे । (ii) पहली अनुसूची, आदेश 5 के नियम 9 में,-- (क) उपनियम (3) में "समन की तामील, प्रतिवादी या तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त किए गए उसके किसी अभिकर्ता को संबोधित रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा" शब्दों के स्थान पर "रजिस्ट्रीकरण सहित स्पीड पोस्ट और परिदान का सबूत प्रतिवादी को या उसके उस अभिकर्ता को, जो तामील ग्रहण करने के लिए सशक्त है, सम्बोधित करके" शब्द रखे जाएंगे ; (ख) उपनियम (4) में "(रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक से भिन्न)" कोष्ठक और शब्दों का लोप किया जाएगा ; (ग) उपनियम (5) के परंतुक में, "रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा सम्यक् रूप से भेजा गया था, वहां इस उपनियम में निर्दिष्ट घोषणा इस तथ्य के होते हुए भी की जाएगी कि अभिस्वीकृति" शब्दों के स्थान पर, "रजिस्ट्रीकरण सहित स्पीड पोस्ट, इस उपनियम में निर्दिष्ट घोषणा इस तथ्य के होते हुए भी की जाएगी कि परिदान का सबूत" शब्द रखे जाएंगे ;

(1)	(2)	(3)	(4)
			(iii) आदेश 21, नियम 1 के उपनियम (2) में "रजिस्ट्रीकृत डाक" शब्दों के स्थान पर, "रजिस्ट्रीकरण सहित स्पीड पोस्ट" शब्द रखे जाएंगे ; और (iv) आदेश 39 में नियम 3 के परंतुक के खंड (क) में, "रजिस्ट्रीकृत डाक" शब्दों के स्थान पर, "रजिस्ट्रीकरण सहित स्पीड पोस्ट" शब्द रखे जाएंगे ।
1925	39	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925	(i) धारा 3 की उपधारा (1) में, "213" अंकों का लोप किया जाएगा ; (ii) धारा 213 का लोप किया जाएगा ; (iii) धारा 370 में,-- (क) उपधारा (1) में, "या प्रोबेट द्वारा स्थापित किए जाने की धारा 212 या धारा 213 द्वारा" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "द्वारा स्थापित किए जाने की धारा 212 द्वारा" शब्द और अंक रखे जाएंगे ; (ख) उपधारा (2) में खंड (ख) का लोप किया जाएगा ।
2005	53	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005	धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (vi) में, "आपदा निवारण प्रबंध योजनाओं के लिए" शब्दों के स्थान पर, "आपदा प्रबंध योजनाओं की तैयारी करने के लिए" शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक उन आवधिक उपायों में से एक उपाय है जिसके द्वारा अधिनियमितियां, जो अब प्रवृत्त नहीं है या अप्रचालित हो गई हैं या जिनको पृथक् अधिनियमों के रूप में प्रतिधारित करना अनावश्यक हैं, निरसित कर दी गई हैं या जिनके द्वारा अधिनियमितियों में पता लगाई गई औपचारिक त्रुटियों को सही कर दिया है ।

2. दूसरी अनुसूची का टिप्पण विधेयक में सुझाए गए संशोधन के कारणों को स्पष्ट करता है जिनके संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण आवश्यक है ।

3. विधेयक के खंड 4 में सचेतकारी उपबंध अंतर्विष्ट है, जिसका इस प्रकार के विधेयक में सम्मिलित किया जाना प्रायिक है ।

नई दिल्ली ;
12 दिसंबर, 2025

अर्जुन राम मेघवाल

दूसरी अनुसूची पर टिप्पण

1. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897—डाक विभाग द्वारा डाक उत्पादों और सेवाओं के सुव्यवस्थीकरण और रजिस्ट्रीकृत डाक सेवाओं के स्पीड पोस्ट सेवाओं के साथ विलयन के अनुसरण में, अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन "रजिस्ट्रीकृत डाक" शब्दों को, "स्पीड पोस्ट के साथ रजिस्ट्रीकरण" शब्दों से प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—डाक विभाग द्वारा डाक उत्पादों और सेवाओं के सुव्यवस्थीकरण और रजिस्ट्रीकृत डाक सेवाओं के स्पीड पोस्ट सेवाओं के साथ विलयन, 'अभिस्वीकृति देय सेवाओं' के रजिस्ट्रीकरण सहित स्पीड पोस्ट के साथ 'परिदान के सबूत" के रूप में उपलब्ध होने की सुविधा के अनुसरण में, अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन, उपलब्ध सेवाओं में उक्त परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए पारिणामिक उपांतरण करने के लिए है ।

3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925—अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन, धारा 213 के लोप द्वारा एकरूपता लाने के लिए है, जो भेदभावपूर्ण है और यह उपबंध करती है कि जहां वसीयत, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे उच्च न्यायालयों के सामान्य मूल सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर बनाई जाती है और जहां ऐसी वसीयतें उन सीमाओं के बाहर बनाई जाती हैं, जहां तक वे उन सीमाओं के भीतर अवस्थित अचल संपत्ति से संबंधित हैं हिंदुओं, बौद्धों, सिखों, जैनियों और पारसियों को वसीयत का प्रोबेट या प्रशासन-पत्र लेना होगा । धारा 213 के लोप के पारिणामिक संशोधन अधिनियम के अन्य उपबंधों में किए जा रहे हैं । धारा 370 की उपधारा (2) के खंड (ख) का, औपनिवेशिक शासन की निशानी, अप्रचलित और अनावश्यक होने के कारण, लोप किए जाने का प्रस्ताव किया गया है ।

4. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005—अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन, उक्त अधिनियम में असावधानीपूर्वक हुई त्रुटि का सुधार करने के लिए, 'आपदा निवारण प्रबंध योजनाओं के लिए' शब्दों को, 'आपदा प्रबंध योजनाओं की तैयारी करने के लिए' शब्दों से प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

उपाबंध

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का अधिनियम संख्यांक 10) से उद्धरण

*　　*　　*　　*　　*　　*

डाक द्वारा तामील का अर्थ।

27. जहां कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् बनाया गया कोई केन्द्रीय अधिनियम या विनियम किसी दस्तावेज की डाक द्वारा तामील की जानी प्राधिकृत या अपेक्षित करता है चाहे "तामील" अथवा "देना" या "भेजना", इन दोनों में से किसी भी पद का अथवा किसी अन्य पद का उपयोग किया गया हो वहां जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो उस दस्तावेज को अन्तर्विष्ट रखने वाले पत्र उचित रूप से पता लिखकर, उस पर पूर्व संदाय करके और उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा डाक में भेजने से तामील हुई समझी जाएगी और जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह समझा जाएगा कि तामील उस समय हो चुकी है जब वह पत्र डाक के मामूली अनुक्रम में परिदत्त हो जाता ।

*　　*　　*　　*　　*　　*

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 5) से उद्धरण

*　　*　　*　　*　　*　　*

केविटर दायर करने का अधिकार।

148क. (1)　　*　　*　　*　　*　　*

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई केवियट दायर किया गया है वहां वह व्यक्ति जिसके द्वारा केवियट दायर किया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् केवियटकर्ता कहा गया है), उस व्यक्ति पर जिसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है या किए जाने की प्रत्याशा है, केवियट के सूचना की तामील रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा करेगा ।

*　　*　　*　　*　　*　　*

पहली अनुसूची

*　　*　　*　　*　　*　　*

आदेश 5

समनों का निकाला जाना और उनकी तामील

*　　*　　*　　*　　*　　*

समन की तामील

न्यायालय द्वारा समन का परिदान।

9. (1)　　*　　*　　*　　*　　*

(3) समन की तामील, प्रतिवादी या तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त किए गए उसके किसी अभिकर्ता को संबोधन रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा ऐसी कूरियर सेवा दा्वा, जो उच्च न्यायालय या उपनियम (1) में निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो, अथवा उच्च न्यायालय द्वारा (जिसके अन्तर्गत फैक्स संदेश या इलैक्ट्रानिक डाक सेवा भी है) उसकी एक प्रति के परिदान या पारेषण द्वारा की जा सकेगी:

परन्तु यह कि इस उपनियम के अधीन समन की तामील वादी के खर्च पर की जाएगी।

(4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई प्रतिवादी उस न्यायालय की अधिकारिता के बाहर करता है, जिसमें वाद संस्थित किया गया है और न्यायालय या निदेश देता है कि उस प्रतिवादी को समनों की तामील ऐसे माध्यम से की जाए, जैसा कि उपनियम (3) में निर्दिष्ट है (सरीदी रजिस्ट्रीकृत डाक से भिन्न), वहां नियम 21 के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

(5) जब कोई अभिस्वीकृति या अन्य रसीद, जिस पर प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर होने तात्पर्यित है, न्यायालय द्वारा प्राप्त की जाती है अथवा ऐसी डाक वस्तु, जिसमें समन है, न्यायालय द्वारा वापस प्राप्त की जाती है जिस पर डाक कर्मचारी या कूरियर सेवा द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति दव्ारा किया गया इस आशय का पृष्ठांकन तात्पर्यित है कि प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता ने, जब समन उसे भेजे गए या पारेषित किए गए थे तो उस डाक वस्तु का परिदान लेने से इंकार कर दिया था जिसमें समन थे अथवा उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट किसी अन्य साधन से समन लेने से इंकार कर दिया था, तो समन निकालने वाला न्यायालय यह घोषणा करेगा कि समन सम्यक् रूप से प्रतिवादी पर तामील कर दिए गए हैं :

परन्तु जहां समन उचित रूप में पता लिकखर, उस पर पूर्व संदाय करके और रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा सम्यक् रूप से भेजा गया था, वहां इस उपनियम में निर्दिष्ट घोषणा इस तथ्य के होते हुए भी की जाएगी कि अभिस्कीकृति खो जाने या इधर-उधर हो कजाने या3 किसी अन्य कारण से समन निकालने की तारीख से तीस दिन के भीतर न्यायालय को प्राप्त नहीं हुई है ।

*   *   *   *   *   *

आदेश 21

डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन

डिक्री के अधीन संदाय

1. (1)   *   *   *   *   *

डिक्री के अधीन धन के संदाय की रीतियां ।

(2) जहां संदाय उपनियम (1) के खंड (क) या खंड (ग) के अधीन किया जाता है वहां निर्णीत-ऋणी डिक्रीदार को उसकी सूचना न्यायालय के माध्यम से देगा या रसीदी रजिस्ट्री कडाक द्वारा सीधे देगा ।

*   *   *   *   *   *

आदेश 39

अस्थायी व्यादेश और अन्तर्वर्ती आदेश

अस्थायी व्यादेश

*   *   *   *   *   *

व्यादेश देने से पहले न्यायालय निदेश देगा कि विरोधी पक्षकार को सूचना दे दिया जाए।

3. वहां के सिवाय जहां यह प्रतीत होता है कि व्यादेश देने का उद्देश्य विलंब द्वारा निष्फल हो जाएगा न्यायालय सब मामलों में व्यादेश देने से पूर्व यह निदेश देगा कि व्यादेश के आवेदन की सूचना विरोधी पक्षकार को दे दी जाए ।

परंतु जहां यह प्रस्थावना की जाती है कि विरोधी पक्षकार को आवेदन की सूचना

दिए बिना व्यादेश दे दिया जाए वहां न्यायालय अपनी ऐसी राय के लिए विलंब द्वारा व्यादेश देने का उद्देश्य विफल हो जाएगा, कारण अभिलिखित करेगा और आवेदक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह--

(क) व्यादेश देने वाला आदेश किए जाने के तुरंत पश्चात व्यादेश के लिए आवेदन की प्रति निम्नलिखित के साथ--

(i) आवेदन के समर्थन में फाइल किए गए शपथ पत्र की प्रति;

(ii) वादपत्र की प्रति; और

(iii) उन दस्तावेजों की प्रतियां, जिन पर आवेदक निर्भर करता है,

विरोधी पक्षकार को दे या उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे, और

* * * * * *

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम संख्यांक 39) से उद्धरण

* * * * * *

राज्य में किसी मूलवंश, पंथ या जनजाति को अधिनियम के प्रवर्तन से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति ।

3. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, या तो 1865 के मार्च के सोलहवें दिन से भूतलक्षी प्रभाव से या भविष्यलक्षी प्रभाव से, इस अधिनियम के निम्नलिखित उपबंधों, अर्थात् धारा 5 से 49, 58 से 191, 212, 213 और 215 से 369 में से किसी के प्रवर्तन से राज्य में किसी मूलवंश, पंथ या जनजाति के या ऐसे मूलवंश, पंथ या जनजाति के किसी भाग के सदस्यों को छूट दे सकती है जिन्हें राज्य सरकार ऐसे उपबंधों को या उनमें से किसी को, जो आदेश में वर्णित हों, लागू करना असंभव या असमीचीन समझती है ।

* * * * * *

निष्पादक या वसीयतदार के रूप में अधिकारिता कब स्थापित होती है।

213. (1) निष्पादक या वसीयतदार के रूप में कोई अधिकार किसी न्यायालय में तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक भारत के सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने ऐसी विल का प्रोबेट, जिसके अधीन उस अधिकार का दावा किया गया है, अनुदत्त न किया हो या विल उपाबद्ध करके या विल की प्राधिकृत प्रति की एक प्रति उपाबद्ध करके प्रशासन-पत्र अनुदत्त न किया हो ।

(2) यह धारा मुस्लिमों या भारतीय क्रिश्चियनों] द्वारा किए गए विलों के मामलों में लागू नहीं होगी और केवल निम्नलिखित मामलों में लागू होगी :—

(i) किसी हिन्दू, बौद्ध, सिक्ख या जैन द्वारा किए गए विलों के मामले में, जहां ऐसे विल धारा 57 के खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट वर्गों के हैं ; और

(ii) भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1962 के प्रारम्भ के पश्चात् मरने वाले किसी पारसी द्वारा किए विलों के मामलों में, जहां ऐसे विल कलकत्ता, मद्रास और मुंबई स्थित उच्च न्यायालयों की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किए गए हैं और जहां ऐसे विल उन सीमाओं के बाहर किए गए हैं वहां जहां तक उनका सम्बन्ध उन सीमाओं के भीतर स्थित स्थावर सम्पत्ति से है । 1962 का 16

* * * * * *

भाग 10

उत्तराधिकार प्रमाणपत्र

370. (1) इस भाग के अधीन उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् प्रमाणपत्र कहा गया है) ऐसे किसी ऋण या प्रतिभूति की बाबत अनुदत्त नहीं किया जाएगा जिसके लिए कोई अधिकार, प्रशासन-पत्र या प्रोबेट द्वारा स्थापित किए जाने की धारा 212 या धारा 213 द्वारा अपेक्षा की गई है : इस भाग के अधीन प्रमाणपत्र के अनुदान पर निर्बन्धन।

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी ऋण या प्रतिभूति की बाबत मृत भारतीय क्रिश्चियन की चीजबस्त, या उसके किसी भाग के लिए हकदार होने का दावा करता है, इस कारण प्रमाणपत्र के अनुदान को रोकने वाली नहीं मानी जाएगी कि उसके लिए अधिकार इस भाग के अधीन प्रशासन-पत्र द्वारा स्थापित किया जा सकता है ।

(2) इस भाग के प्रयोजनों के लिए "प्रतिभूति" से अभिप्रेत है:—

* * * * * *

(ख) भारत के राजस्व पर यूनाइटेड किंगडम की संसद् के अधिनियम द्वारा भारित कोई बन्धपत्र, डिबेन्चर या वार्षिकी;

* * * * * *

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 53) से उद्धरण

* * * * * *

30. (1) * * * * * जिला प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य ।

(2) जिला प्राधिकरण, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना:—

* * * * * *

(iv) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण, उनके प्रभावों के शमन, तैयारी के और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता है;

* * * * * *

LOK SABHA

CORRIGENDA

to

The Repealing and Amending Bill, 2025

[*To be/ As introduced in Lok Sabha*]

Page No. 6, in the Second Schedule, in Column No.4:

S. No.	Line(s) No.	For	Read
1.	15-16	(ii) In the First Schedule, in order V, rule 9,—	(ii) In the First Schedule, (a) in Order V, in rule 9, —
2.	17	(*a*) in sub-rule (*3*),	(I) in sub-rule (*3*),
3.	26	(*b*) in sub-rule (*4*),	(II) in sub-rule (*4*),
4.	30	(*c*) in sub-rule (5),	(III) in sub-rule (*5*),
5.	41	(*iii*) In order XXI,	(b) in Order XXI,
6.	46	(*iv*) In order XXXIX,	(c) In Order XXXIX,

NEW DELHI;

December 13, 2025
Agrahayana 22, 1947 (Saka)